

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-आव्हान निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
207/2024

दायर दिनांक  
20.05.2024

निर्णय दिनांक  
11.06.2024


उनवान

1. द्वारका प्रसाद आत्मज श्री बालुराम, जाति ब्राम्हण, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

- प्रार्थी

बनाम

1. हरक लाल पिता हिरा लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मोडी पुत्री हिरा लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी - दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. रामघणी पुत्री हिरा लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
4. जमनी पुत्री हिरा लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
5. बाली पुत्री हिरा लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. सोहनी पत्नी हिरा लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
7. किशन पिता जमना कुमावत, उम्र वयस्क निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. जमनी पत्नी जमना कुमावत, उम्र वयस्क निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
9. ताराचन्द पिता जमना कुमावत उम्र वयस्क निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
10. रुकमा पुत्री जमना कुमावत, उम्र वयस्क निवासी - दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
11. ऊंकार पिता बालुराम, जाति ब्राम्हण, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
12. शंकर पिता पिता बालुराम, जाति ब्राम्हण, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
13. रमेश पिता छितरमल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)



उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

14. कमला पत्नी शंकर लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
15. टिना पुत्री शंकर लाल कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
16. पन्नी बाई पुत्री हेमा कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी दरीबा, तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, भीलवाड़ा (राज.)

—विपक्षीगण

उपरिस्थित:—अधिवक्ता प्रार्थी महेश चन्द्र विश्नोई  
अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपरिस्थित नहीं


—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू-राजस्व अधिनियम :-

—: निर्णय :-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा दरीबा प०ह० दरीबा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 242 की अभिलिखित आराजियात 1119, 1122 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6702 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और अप्रार्थीगण जैर-बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 16 उपरिस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपरिस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के कम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज० भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाड़ा

तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा दरीबा प0ह0 दरीबा भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पांसल तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2071-2074 के खाता संख्या 242 की अभिलिखित आराजियात 1119, 1122 कुल किता 02 कुल रकबा 0.6702 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायन करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का रथगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा  
जिला न्यायालय